7 ६५५६/०८.०७.२५

(1)

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–04/अ0प्र0–07–14/2020 4896 /पटना, दिनांक– 30.8.25

प्रेषक,

अमरेन्द्र कुमार सिन्हा,
अभियंता प्रमुख।

सेवा में,

अत्यावश्यक

सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

विषयः– कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा संपुष्टि एवं वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु कम्प्युटर सक्षमता जॉच परीक्षा उत्तीर्णता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय–समय पर यथा संशोधित) जो अभिभावी प्रवृति (Overriding effect) का है, के नियम, 22 (5) (ii) में कनीय अभियंता को "पर्यवेक्षकीय" संवर्ग का पद माना गया है। वर्ष 2017 में ~~पुष्ठित~~ सप्तम वेतन समिति की अनुशंसा में भी पर्यवेक्षकीय पदों की सूची के क्रम सं0–59 पर कनीय अभियंता अंकित है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–1609 दिनांक–24.05.2011 की कंडिका–3 (क) के तहत पर्यवेक्षकीय संवर्गों तथा समूह 'ग' के कर्मियों की सेवा सम्पुष्टि हेतु कम्प्युटर सक्षमता जॉच परीक्षा (CCAC) में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–3127 दिनांक–06.03.2018 द्वारा निर्गत **"बिहार सरकारी सेवक विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति नियमावली, 2018"** की कंडिका–4 में निर्णय संसूचित किया गया है कि "विमुक्ति उन्हीं सरकारी सेवकों को दी जा सकेगी, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और जिन्होंने समय–समय पर आयोजित विहित परीक्षा में भाग लिया हो और असफल रहे हो अथवा सरकारी कार्यों को अत्यावश्यकताओं के कारणों से विहित परीक्षा का आयोजन ही नहीं किया जा सका हो अथवा उनके 50 वर्ष की आयु पूरी करने के 5 (पॉच) वर्ष पूर्व की निर्धारित अवधि में कभी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की गई हो।"

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में निदेश है कि अपने क्षेत्राधीन कार्यरत 50 वर्ष से अधिक उम्र के वैसे कनीय अभियंता जिनकी सेवा सम्पुष्टि पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में की जा चुकी है, लेकिन उनके द्वारा अब तक कम्प्युटर सक्षमता जॉच परीक्षा (CCAC) में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं की है, को बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (विपार्ड) द्वारा समय–समय पर आयोजित कराये जाने वाले कम्प्युटर सक्षमता जॉच परीक्षा (CCAC) में भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन
(ह0) 30.8.23
अभियंता प्रमुख

Under Secretary

P.T.O

ज्ञापांकः–04/अ0प्र0–07–14/2020 4896 /पटना, दिनांक– 30.8.23

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/8/23

अभियंता प्रमुख

6 Under Secretary